क्रम-सख्या—266

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज़ पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 2006

अग्रहायण 9, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1440/79-वि0-1-01(क)36 -2006

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 29 नवम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2006

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2006]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 में उपधारा (3) में, वर्तमान में विद्यमान प्रतिबंधात्मक खण्ड के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा,

"अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अंतरण जनहित में किया गया है वहां वह ऐसे किसी अन्तरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माने के भुगतान से छूट दे सकती है।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) की धारा 154 की उपधारा (3) में किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिये किसी संस्था के पक्ष में या जन साधारण के हित में भूमि की लागत के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि के जुर्माने के रूप में भुगतान पर 5.0586 हेक्टेयर (12.5 एकड़) से अधिक भूमि के अन्तरण के लिये कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को प्राधिकृत करने की व्यवस्था की गयी है। कतिपय संस्थाएं/व्यक्ति जो 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय कर चुके हैं, जुर्माने की उक्त धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, यद्यपि उनके द्वारा क्रय की गयी भूमि जनहित में उपयोग की जानी है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त उपधारा में संशोधन करके कतिपय ऐसे अन्तरितियों को उक्त उपधारा के अधीन जुर्माने के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1440/LXXIX-V–1-01(ka) 36-2006

Dated Lucknow, November 30, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 29, 2006 :—

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 36 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2006. Short title

Amendment of section 154 of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, in sub-section (3) after the existing proviso, the following, proviso shall be *inserted,* namely :—

" Provided further that where the State Government is satisfied that any transfer has been made in public interest, it may exempt any such transferee from the payment of fine under this sub-section."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

sub-section (3) of sub-section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1951) provides for authorising the State Government to accord post facto approval for the transfer of land in excess of 5.0586 Hectares (12.5 Acres) in favour of a Registered Co-operative Society or an institution for charitable purpose or in the interest of genial public on payment of an amount as fine, equal to twenty five percent of the cost of the land certain institutions/persons who have purchased land in excess of 12.5 Acres are not in the condition to make payment of the said amount of fine although the land purchased by them is to be used in the public interest. It has, therefore, been decided to amend the said sub-section to provide for empowering the State Government to exempt certain such transferees from the payment of fine under the said sub-section.

The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3124 राजपत्र–(हिन्दी)–2006–(6683)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०य०पी०–ए० पी० 189 सा० विधायी–2006–(6684)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।